नियम 31ग : कैसिनो की दशा में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैसिना में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित के खिलाड़ी द्वारा या उनके निमित्त संदत्त या संदेय कुल रकम होगी –

(i) कैसिनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों का क्रय :

(ii) कैसिनो के किसी घटना में भाग लेना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया, जिसमें टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय करना अपेक्षित नहीं है :

परंतु कैसिनो द्वारा खिलाडी को, टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट की वापसी, जैसी स्थति हों, के लिए वापस या प्रतिदाय की गई किसी रकम की कैसिनों में अनुयोज्य दावों की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण–नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजनों के लिए किसी घटना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया सम्मिलित है, को जितने के द्वारा प्लेयर द्वारा प्राप्त की गई किसी रकम को, जिसका प्रतिसंहरण किए बिना उक्त खिलाडी द्वारा किसी और घटना में प्रयोग किया जाता है, उक्त खिलाडी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को संदत्त रकम या उसके पास जमा रकम नहीं माना जाएगा ।]